


ए0एल0 बनर्जी,  
आई.पी.एस.



पुलिस महानिदेशक,  
उत्तर प्रदेश,  
1-तिलक मार्ग, लखनऊ  
दिनांक: लखनऊ: जुलाई 17, 2014

**विषय-** केन्द्र/प्रदेशों में नियुक्त पुलिस महानिदेशकों/जॉच एजेन्सियों के प्रमुखों से पत्राचार किए जाने हेतु निर्देश।


प्रिय महोदय/महोदया,

मेरे संज्ञान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में जनपदों/इकाईयों में नियुक्त कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय पुलिस बलों, जॉच एजेन्सियों के प्रमुखों एवं अन्य राज्यों के पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों से सीधे पत्राचार किया जा रहा है, जो कि वास्तव में वरिष्ठ स्तर से किया जाना अपेक्षित होता है। एक ऐसे ही प्रकरण में केन्द्रीय पुलिस बल के एक प्रमुख द्वारा ऐसा एक पत्राचार मेरे संज्ञान में लाया गया है, जो कि न केवल सामान्य शिष्टाचार से परे था, वरन् विधिसंगत भी नहीं था। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे पत्राचार से प्रदेश पुलिस की छवि कितनी धूमिल हुई है।

2. उपरोक्त सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में केन्द्रीय पुलिस संगठनों या केन्द्रीय बलों के पुलिस प्रमुखों के साथ कोई भी पत्राचार पुलिस महानिरीक्षक या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा ही किया जाए एवं इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि पत्राचार शिष्ट, मर्यादित एवं विधिसंगत हो। जनपदों या परिक्षेत्रों से सम्बन्धित प्रकरणों में यह पत्राचार सम्बन्धित जिला प्रमुख पुलिस प्रभारी या परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से ही किया जाए एवं किसी भी दशा में यह कार्य अधीनस्थों को न सौंपा जाए।

3. मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप इन निर्देशों का पूरी निष्ठा एवं कड़ाई से न केवल स्वयं अनुपालन करेंगे, वरन् अपने अधीनस्थों को भी अनुपालन हेतु कड़ाई से निर्देशित करेंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन निर्देशों के अनुपालन में यदि कही शिथिलता पायी जाए, तो ऐसे प्रकरणों से सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त दण्डात्मक कार्यवाही अवश्य की जाए।

भवदीय,

  
(ए0एल0बनर्जी) 17/07/14

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,  
प्रभारी जनपद(नाम से)  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन/पीएसी, उ0प्र0।
3. पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र/पीएसी अनुभाग, उ0प्र0।